भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3831

दिनांक 11 अगस्त, 2023 को उत्तर के लिए

निजी भागीदारी से आंगनवाड़ी केंद्रों का आधुनिकीकरण

3831. श्रीमती राजश्री मल्लिक :

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण और सामुदायिक विकास में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए देश भर में सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों(एडब्ल्यूसी) के आधुनिकीकरण कार्यक्रम को पूरा कर लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आधुनिकृत आंगनवाड़ी केन्द्र पोषण की कमी से निपटने के लिए समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम का अनुसरण करते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार देश भर में आंगनवाड़ी केन्द्रों का सफलतापूर्वक आधुनिकीकरण करने के लिए निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) और (ख) : सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत, स्मार्ट लर्निंग और ऑडियो-विजुअल एड्स और बाल उपयोगी शिक्षण उपकरण के साथ एलईडी स्क्रीन, आरओ मशीन की स्थापना, बेहतर अवसंरचना के साथ 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए बेहतर पोषण प्रदायगी और बाल्यावस्था पूर्व देखरेख और शिक्षा(ईसीसीई) के लिए 2 लाख चयनित आंगनवाड़ी केंद्रों(प्रति वर्ष 40,000 आंगनवाड़ी केंद्र) के उन्नयन का प्रावधान है।

विगत वित्तीय वर्ष के दौरान 41,192 आंगनवाड़ी केंद्रों का सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र में उन्नयन करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया था। इनमें से 35054 आंगनवाड़ी केंद्र आकांक्षी जिलों में अनुमोदित किए गए थे।

जो आंगनवाड़ी केन्द्र डीडब्ल्यूएस सुविधाओं के बिना चल रहे हैं, उनके लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से बार-बार अनुरोध किया गया है कि वे उन आंगनवाड़ी भवनों को निकटवर्ती प्राथमिक विद्यालयों में या उन स्थानों पर स्थानांतरित करें जहां ये सुविधाएं पहले से ही उपलब्ध हैं।

स्वच्छता कार्य योजना के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों में शौचालय और पेयजल सुविधाओं का निर्माण 16 नवंबर, 2017 को मंत्रिमंडल द्वारा संशोधित आंगनवाड़ी सेवाओं के तहत अनुमोदित नए घटक थे। शौचालय और पेयजल के लिए अनुमोदित इकाई लागत क्रमश: 12,000/-रुपये और 10,000/-रुपये है, जिसे आईसीडीएस (सामान्य) के तहत लागत सहभाजन अनुपात के अनुसार केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वहन किया जाएगा। शौचालय के लिए अनुमोदित इकाई लागत को संशोधित करके 36000/-रुपये प्रति आंगनवाड़ी केंद्र कर दिया गया है। पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराने की लागत भी संशोधित करके 17000/-रुपये कर दी गई है। इसके अलावा, जल जीवन मिशन के तहत, पेयजल और स्वच्छता विभाग के साथ अभिसरण में, आंगनवाड़ी केंद्रों को पाइपलाइनों के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

(ग) : देश भर में आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण को गति प्रदान करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे विभिन्न स्कीमों जैसे कि एमपीएलएडीएस, एमएलएएलएडीएस, आरआईडीएफ (ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि), पंचायती राज संस्थाओं को वित्त आयोग अनुदान, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए), अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) आदि से आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण के लिए निधियां प्राप्त करना जारी रखें। राज्यों को अपने स्वयं के विवेक से अपने स्तर पर बिना किसी बाध्यता के पूर्ण से रूप से निशुल्क आधार पर आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए सीएसआर निधियों, व्यक्तियों, कंपनियों, व्यापारिक घरानों और प्रतिष्ठित संस्थानों को शामिल करने की सलाह दी गई है। इसी तरह, जिलाधिकारियों को पूर्ण रूप से नि:शुल्क आधार पर बिना किसी बाध्यता के इसके लिए संसाधनों को प्रोत्साहित/संगठित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को इसी प्रकार आंगनवाड़ी अवसंरचना जैसे शौचालय, आरडब्ल्यूएचएस, डीडब्ल्यूएस आदि अथवा आंगनवाड़ी कार्यकलाप के किसी भी पहलू जैसे ईसीसीई सामग्री, फर्नीचर, खाना पकाने के बर्तन, रसोई अवसंरचना, भंडारण सुविधा आदि के वित्तपोषण की अनुमति दी गई है।

******